

८०U

आयकर लाभ विकलांग व्यक्ति के लिए

८०DD

चिकित्सा व्यय में कर लाभ -विकलांग व्यक्ति के देखभालकर्ता के लिए



धारा ८० DD में नया प्रावधान

यदि विकलांग व्यक्ति के माता पिता विकलांग व्यक्ति के हित में बचत जीवन योजना खरीदते हैं जिसमें बादवाला व्यक्ति लाभार्थी है, इस परिस्थिति में माता पिता और अभिभावक सकल आय से छूट के पात्र हैं (कर -कुछ शर्तों के अधीन)

आवश्यक

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी या शासकीय चिकित्सालय निर्मित खंड द्वारा जारी व्यक्ति का विकलांगता प्रमाण पत्र

या


- UDID कार्ड

मान्यता प्राप्त विकलांगता के प्रकार 7 से बढ़कर 21 हो गए हैं



- दृष्टिहीनता
- कम दृष्टि
- कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति सुनने में परेशानी
- लोकोमोटर विकलांगता
- बौनापन
- बौद्धिक विकलांगता
- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर
- सरेबल पाल्सी
- मस्कुलर डिस्टोफी
- क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन

- मानसिक बीमारी
- स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी
- भाषा और भाषण विकलांगता
- थैलेसीमिया
- हीमोफीलिया
- सिकल सेल रोग
- एसिड अटैक के शिकार
- पार्किंसंस रोग
- बहरापन अंधापन समेत कई अक्षमताएं
- मल्टीपल स्क्लेरोसिस



कटौती की राशि

40-80% विकलांगता -75,000 तक

80%से अधिक विकलांगता -1.25 लाख तक

